



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 19 जनवरी, 2021
पौष 29, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या 04/2021/85/सात-न्याय-2-2021-58जी-2001

लखनऊ, 19 जनवरी, 2021

अधिसूचना

प०आ०-51

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 66 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (ख) और उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियमावली, 1995 के नियम 3 (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उच्च न्यायालय इलाहाबाद की सहमति से, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित कुटुम्ब न्यायालयों में प्रधान न्यायाधीश के रूप में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करती हैं :-

अनुसूची

क्रम संख्या	न्यायिक अधिकारियों का नाम	इस अधिसूचना के पूर्व पदनाम व तैनाती	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय की नयी तैनाती
1	2	3	4
1	श्री बृजेन्द्र मनि त्रिपाठी	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, इलाहाबाद	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, गोण्डा
2	श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, फिरोजाबाद

1	2	3	4
3	श्री शकील अहमद खान	पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, हमीरपुर	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, संत कबीर नगर
4	श्री सत्य प्रकाश	अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, फैजाबाद	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, जौनपुर
5	श्री मित्तर पाल सिंह	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, सीतापुर

आज्ञा से,
प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-II,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 04/2021/85/VII-Nyay-2-2021-58 G-2001, dated January 19, 2021:

No. 04/2021/85/VII-Nyay-2-2021-58 G-2001

Dated Lucknow, January 19, 2021

IN exercise of the powers under sub-section (1) and sub-section (2) (b) of section 4 of the Family Courts Act, 1984 (Act no. 66 of 1984) and Rule 3 (b), of the Uttar Pradesh Family Court Rules, 1995, the Governor with the concurrence of the High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to appoint the Judicial Officers mentioned in Column-2 of the Schedule below as the Principal Judge of the Family Courts mentioned against each in column-4 of the said Schedule with effect from the date of their taking over charge of their respective office:-

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Judicial Officers	Designation and Posting before this Notification	New Posting of Principal Judge, Family Court
1	2	3	4
1	Sri Brijendra Mani Tripathi	Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Allahabad	Principal Judge Family Court, Gonda
2	Sri Surendra Nath Tripathi	Additional District & Sessions Judge, Azamgarh	Principal Judge Family Court, Firozabad
3	Sri Shakeel Ahmad Khan	Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Hamirpur	Principal Judge Family Court, Sant Kabir Nagar
4	Sri Satya Prakash	Additional Principal Judge Family Court, Faizabad	Principal Judge Family Court, Jaunpur
5	Sri Mittar Pal Singh	Additional District & Sessions Judge, Moradabad	Principal Judge Family Court, Sitapur

By order,
PRAMOD KUMAR SRIVASTAVA-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 747 राजपत्र-2021-(1501)-599+30=629 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।